FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0128 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/05/2025 21:54 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 15/05/2025 **Date To (दिनांक तक):** 22/05/2025
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:50 बजे **Time To (समय तक):** 12:40 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/05/2025 **Time (समय):** 18:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/05/2025 21:54:09 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 135 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** DR.SATYAVEER YADAV KE MAKAN KE SAMANE, GANNE KE JUICE KA THELA, KUND ROAD BEHROR

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** SURENDRA SINGH YADAV
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAJVEER YADAV
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1974 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM GANDALA, BEHROR, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM GANDALA, BEHROR, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
   Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	LALIT KUMAR YADAV		पिता:HARPAL SINGH YADAV	1. GADOJ,BEHROR,कोटपूतली-बहरोड़,RAJASTHAN,INDIA
2	RAMKISHOR MEENA		पिता:BHAGWAN SAHAY MEENA	1. MEENA MOHALLA,CHITANUKALA CHANDWAJI,AMER,JAIPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		70,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 70,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 15.05.2025 को श्री सुरेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री राजवीर सिंह यादव, निवासी ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड, जिला कोटपूतली बहरोड ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रभारी एस.यू. द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र इस आषय का पेश किया कि सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू.द्वितीय, जयपुर विषय - रिश्वत मांगने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के संबंध में, महोदय, निवेदन है कि मैं ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड का रहने वाला हूं, जहां हमारी भूमि खसरा नं. 1087 ग्राम गण्डाला में 1/2 हिस्सा हमारा हैं, अतः 1/2 हिस्सा मेरे चाचा श्यामसिंह के बेटो का है। वर्ष 2004 में हमारी सहमति ईंट भट्टा की स्वीकृति ली जाकर K.N.B. के नाम से ईंट भट्टा चालू किया था। जिसका नवीनीकरण हर पांच वर्ष में होता है। अतः अन्तिम बार दिनांक 21.11.2019 से 30.09.2024 तक की अवधि का परमिट सहायक खनिज अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग कोटपूतली जयपुर से लिया गया हैं। वर्ष 2021 में ही मेरा पैसों को लेकर मेरे चाचा के लडके प्रवीन व नवीन तथा भट्टा संचालक से विवाद हो गया। तभी से मैं श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी बहरोड के आदेश क्रमांक 10113 दिनांक 09.12.20 के आदेश के बिन्दू संख्या 3 के क्रम में उक्त भट्टे की अनुमति निरस्त करवाने के प्रयास करता रहा। दिनांक 05.12.24 को मैनें उपखण्ड अधिकारी बहरोड को प्रार्थना पत्र इस संबंध में पेश कर खसरा नं. 1087 रकबा 1.19 हैक्टियर ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड में स्थित ईट भट्टा अजनाम K.N.B. को तुरन्त बन्द करवाने सपरिवर्तन आदेश क्रमांक 2020/10-13 दिनांक 9.12.20 से 30.09.24 का पुन सपरिवर्तन नही करने, सपरिवर्तन आदेश को निरस्त करने व उक्त आराजी के कृषि स्वरूप को बहाल करने हेतु पेश किया। पिछले चार-पांच महिने में मेरे प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नही करने पर मैनें उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में उनके रीडर श्री ललित कुमार से सम्पर्क किया तो उसने एक सप्ताह पहले मुझे कहा कि मैं उपखण्ड अधिकारी बहरोड श्री रामकिशोर मीना से बात करके बताउगा। जिसका दिनांक 14.05.25 को मेरे मोबाईल नं. [redacted] पर श्री ललित यादव के मोबाईल नं. [redacted] से Whatsaap.call आया और मुझे कहा कि मेरी S.D.M. श्री रामकिशोर मीणा जी से बात हो गई हैं। भट्टे के सपरिवर्तन आदेश को निरस्त करने के लिए रिश्वत के तोर पर एक लाख रूपये देने होगें। मैं उक्त सपरिवर्तन आदेश निरस्त करवाने के लिए श्री ललित यादव रीडर S.D.M.बहरोड एवं श्री रामकिशोर मीना S.D.M.बहरोड, जिला कोटपूतली बहरोड को बतौर रिश्वत एक लाख रूपये मैं नही देना चाहता हूं, बल्कि इनको रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरा इनसे कोई उधार का लेन-देन बकाया नही है और ना ही मेरी इनसे कोई रंजिस दुश्मनी है। अतः रिपोर्ट पेश मय और सपरिवर्तन आदेश, परमिट, जमाबन्दी व S.D.M.के पेश प्रार्थना की फोटोप्रतियां पेश कर निवेदन है कि उक्त रिश्वत खोरो के खिलाफ कार्यवाही करने का कष्ट करें। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखित एवं प्रार्थना पत्र के सभी तथ्य सही होना बताया। मजीद दरियाफ्त पर परिवादी ने बताया कि भट्टा सपरिवर्तन आदेश की अवधि दिनांक 21.11.2009 से 30.09.2024 तक की थी। दिनांक 30.09.2024 के बाद मैने भट्टा संपरिवर्तन आदेश निरस्त करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी बहरोड व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपुतली बहरोड के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तृत किये थे। परन्तु उपखण्ड अधिकारी बहरोड द्वारा संपरिवर्तन आदेश निरस्त नहीं किये गये। इस सम्बंध में मैने उपखण्ड अधिकारी बहरोड के रीडर श्री ललित यादव से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि मै आपका काम करवा दूंगा एवं श्री रामकिशोर मीना S.D.M.बहरोड, जिला कोटपूतली बहरोड से बात कर लुंगा। दिनांक 14.05.2025 को श्री ललित यादव रीडर के मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर वाट्सअप कॉल आया और बताया कि श्री रामकिषेर मीणा एसडीएम बहरोड से रिश्वत सम्बंधी वार्ता हो गई है, इस काम के 01 लाख रूपये आपको देने पडेगे। मै इनको रिश्वत एक लाख रूपये नही देना चाहता हूं, बल्कि इनको रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरे द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट व जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली बहरोड के समक्ष भी पूर्व में संपरिवर्तन आदेश निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये गये है, जो भी उपखण्ड अधिकारी बहरोड के पास लम्बित है। श्री ललित यादव रीडर मुझे रिश्वत संबंधी वार्ता करने हेतु कॉल कर बुलायेगा तब मैं आपको कॉल कर अवगत करवा दूंगा, तभी रिश्वत संबंधी वार्ता हो पायेगी। आज श्री ललित यादव राजकार्य से जयपुर आया हुआ हैं, मगर उसमे आज वार्ता करना उचित नही रहेंगा। परिवादी द्वारा प्रस्तृत प्रार्थना पत्र के साथ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला अलवर का आदेश क्रमांक 10-13 दिनांक

09.10.2020, कार्यालय सहायक खनि. अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, कोटपूतली का रामनिवास यादव के नाम का परमिट, अपनी भूमि की जमाबन्दी व श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, बहरोड जिला कोटपुतली बहरोड राजस्थान के नाम की प्रार्थना पत्र की छायाप्रतियां व स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति सलंग्न है। मन् उप पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय में पदस्थापित श्री रूप किशोर कानि. नं. 74 को अपने कक्ष में बुलाया जाकर कक्ष में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह यादव का आपस में परिचय करवाया गया। श्री गजानन्द, उ0नि0 से कार्यालय की आलमारी से सोनी कम्पनी का एक डिजिटल वाईस रिकार्डर निकलवाकर रिकॉर्डर में HIKVISION 32 GB कम्पनी का माईक्रो एसडी कार्ड डालकर, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर एवं माइक्रो एसडी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझाई गई। इसके बाद रिकॉर्डर को पुनः कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया एवं श्री रूप किशोर, कानि. को हिदायत की गई कि परिवादी जब भी संदिग्धगणों से वार्ता करने जाये, उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड लगाकर, चालू कर परिवादी को सुपुर्द करे तथा परिवादी व संदिग्धों के मध्य होने वाले वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे, बाद सत्यापन की कार्यवाही के वापस मेरे समक्ष उपस्थित होवें। अतः परिवादी का जब भी कॉल आयेगा रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जावेगा। परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को हिदायत मुनासिब की गई कि जब भी संदिग्ध का रिश्वत के सम्बंध में कॉल आये तो अविलम्ब मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करावें एवं कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखें। इसके बाद परिवादी को कार्यालय से रूखसत किया गया। आईन्दा परिवादी के कार्यालय उपस्थित होने या उसका कॉल आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 20.05.2025 समय 07.19 ए.एम. पर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर बताया कि श्री ललित यादव रीडर, उपखण्ड अधिकारी ने मुझे कल वाट्सअप कॉल किया था और बताया कि आपका काम मैने श्री रामकिशोर मीणा उप खण्ड अधिकारी बहरोड से करवा दिया है, अब वो पैसे मांग रहे है। मैनें उनको कहा कि आपसे मै कल सुबह मिलता हू, आज मेरे रिस्तेदार बिमार है, इस कारण मै आप से आज नहीं मिल सकता हू। समय 05.00 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय में उपस्थित कानि. रूपकिशोर 74 को अपने कक्ष में बुलाकर, कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय एक नया/खाली मैमोरी कार्ड कम्पनी HIKVISION 32 GB को निकलवाया जाकर खाली होना सुनिश्चित कर सुपुर्द किया गया और हिदायत मुनासिब की गई कि कल दिनांक 21.05.2025 को समय 10.00 ए.एम से पूर्व बहरोड पहुंचकर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से सम्पर्क करें एवं परिवादी जब संदिग्धो के पास अपने काम के सम्बंध में बातचीत करने जाये उससे पूर्व रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द करे एवं आस-पास ही मौजूद रहकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी एवं संदिग्धो के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने एवं उनको देखने का प्रयास करे। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। दिनांक 21.05.2025 समय 12.08 पी.एम पर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] से कानि. रूपकिशोर नम्बर 74 ने मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल करके बताया कि मै आपके निर्देशानुसार ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर करीब 11.20 ए.एम. पर बहरोड बस स्टेण्ड दिल्ली रोड पहुंचा। जहां जरिये मोबाईल परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से सम्पर्क कर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड लगाकर, चालू करके सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड किया गया। मै अपनी उपस्थिति छुपाते हुये कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड के पास ही मौजूद रहा। कुछ समय बाद परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड के बाहर आकर मुझे रिकॉर्डर सुपुर्द किया। रिकॉर्डर को मैने बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा। इसके बाद कानि. रूपकिशोर 74 ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से मन उप अधीक्षक पुलिस की बातचीत करवाई। परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मै श्री रूपकिशोर जी से चालू हालात में रिकॉर्डर प्राप्त कर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड के अन्दर गया। जहां श्री रामकिशोर मीणा उपखण्ड अधिकारी बहरोड अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं मिला। इसके बाद मै ललित यादव रीडर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड के कमरे में गया तो श्री ललित यादव अपने कक्ष में मौजुद मिला। श्री ललित यादव के कार्यालय कक्ष में अन्य व्यक्ति भी मौजुद थे जिनसे वो बातचीत कर रहे थे तब तक मै वहां पर ही खडा रहा। कुछ समय बाद मै इन्तजार कर उनके कमरे से बाहर आने लगा तो उन्होने मुझे आवाज देकर रोक लिया। इसके बाद श्री ललित यादव रीडर ने मुझे कहा कि आपका काम कल शाम को करवा दिया है, तब मैने उनसे पूछा की आपने संपरिवर्तन ही केन्सिल करवाया है या भट्टे को बंद करवाने का भी। इस पर श्री ललित यादव रीडर ने कहा कि दोनो काम करवा दिये है। आप तहसीलदार को एप्लीकेषन लिख कर दोगे और हम आपकी पुलिस कार्यवाही मे भी मदद करेगे। इसके बाद श्री ललित यादव रीडर ने कहा साहब एक मांग रहे है, इस पर मैने कहा एक लाख तो ज्यादा है कुछ कम करवाओ। जिस पर श्री ललित यादव रीडर ने कहा कि आपने बीच में एक आदमी को पूछने के लिये भी भेजा तो मेरे उपर डाट पडी। मैने कुछ कम के लिये कहा तो उन्होने कहा करवा देने की कह कर सत्तर पिचेतर में करवा देगे। मैने उनको 50 हजार रूपये देने के लिये कहा। श्री ललित यादव रीडर 70 हजार के लिये बोल रहे थे ओर ये भी कह रहे थे की आज शाम तक ही करो। जिस पर मैने कहा कि शाम तक या कल तक कर देगे। श्री ललित यादव ने मुझे से यह भी कहा था कि आप रिकॉर्ड विकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो। उक्त वार्तालाप की पुष्टि श्री रूप किशोर कानि द्वारा भी की गई। इस पर मन

उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर अवलिम्ब ए.सी.बी. कार्यालय जयपुर आने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब की गई। साथ ही कानि. रूपकिशोर 74 को भी परिवादी के साथ साथ मय रिकॉर्डर के एसीबी कार्यालय आने हेतु पाबन्द किया गया। उक्त गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाह श्री राजेन्द्र गिगना पुत्र श्री हरिराम जाति वाल्मिकी उम्र 55 साल निवासी प्लॉट नम्बर 122, पर्वतीय कॉलोनी तेलीपाडा, चांदमारी शास्त्रीनगर, जयपुर हाल सहायक प्रषासनिक अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम व श्री सुरेन्द्र सिंह नाथावत पुत्र श्री स्व. श्री दयाल सिंह नाथावत जाति राजपूत उम्र 33 साल निवासी प्लॉट नम्बर 61, नानूनगर वैध जी का चौराहा, निवारू रोड, झोटवाडा जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम को पाबन्द किया गया। समय 08.00 पी.एम पर कानि. रूपकिशोर 74 एवं परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह उपस्थित कार्यालय आये। कानि. रूपकिशोर 74 ने मन उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से डिजिटल वाईस रिकार्डर जोडा जाकर उक्त रिकॉर्डर में सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह एवं कानि. रूपकिशोर के कथनो की ताईद होती है। वार्ता में परिवादी के बतायेनुसार रीडर श्री ललित यादव परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से कहता है " हां जी" इस परिवादी कहता है "मै तो ये कह रहा था एसडीएम साहब से वो संपरिवर्तन ही केन्सिल करवाया है या भट्टे की भी लिखवाई है। भट्टा बंद की" श्री ललित यादव कहता है "हां वो बिरच गयो मै घर चल्यों गयो थो वो फेर शाम न बुलायो सात बज्या" इस पर परिवादी कहता है कि " हां तो अब एसडीएम साहब के कह रया था" श्री ललित यादव कहता है कि " उनको समझा दे अगर करवाना है तो कर दुगा ऐसे कोई दिक्कत नहीं बोले ऐसे" परिवादी कहता है कि "बताओ" श्री ललित यादव कहता है कि "एक बताया था" जिस पर परिवादी कहता है कि "एक लाख बताया था आपने तो" तथा श्री ललित यादव रीडर ने अन्त में 70 हजार रूपये बतौर रिश्वत देने की सहमति प्रदान की । इसके बाद उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डरं को कार्यालय की आलमारी में ताला लगाकर सुरक्षित रखा गया। अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी की अपने गांव गण्डाला में भूमि खसरा नम्बर 1087 में 1/2 हिस्सा में अपने हिस्सेदारों की सहमति से वर्ष 2004 में के एन बी के नाम से ईट भट्टा चालू किया गया था। जिसका नवीनीकरण हर पांच वर्ष में होता है । भट्टे का नवीनीकरण अन्तिम बार 21.11.2019 से 30.09.2024 तक की अवधी का परमिट सहायक खनिज अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग कोटपुतली जयपुर से लिया गया था। परिवादी के उक्त भूमि खसरा नम्बर 1087 के हिस्सेदारो के साथ विवाद होने से परिवादी द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बहरोड के आदेश क्रमांक 10/13 दिनांक 09.12.2020 के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में उक्त भट्टे की अनुमति निरस्त करवाकर, उसे बंद करवाने, पुनः संपरिवर्तन नहीं करने एवं उक्त कृषि भूमि के स्वरूप को बहाल करने के सम्बंध में उपखण्ड अधिकारी बहरोड के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। उपखण्ड अधिकारी बहरोड द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर उक्त कार्यालय में कार्यरत कार्मिक श्री ललित यादव रीडर से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि मै आप का काम एसडीएम बहरोड से करवा दूंगा। एसडीएम बहरोड उक्त कार्य के पेटे एक लाख रूपये की रिश्वत की मांग कर रहे है। संदिग्ध श्री ललित यादव रीडर के द्वारा स्वयं एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड श्री रामकिशोर मीणा के लिये 1 लाख रूपये की रिश्वत मांग कर 70 हजार रिश्वत राशि लेने के लिये सहमत होने की पुष्टि हुई है। दिनांक 22.05.2025 समय 05.30 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनों गवाहान का परिचय परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र को दोनों गवाहान ने पढकर, समझकर व कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना-पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 05.35 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को संदिग्ध श्री ललित यादव, रीडर, उपखण्ड अधिकारी, बहरोड को रिश्वत में दिये जाने वाली रिष्वती राशि 70 हजार रूपये पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने स्वंत्रत गवाहान के समक्ष अपने पास से पांच-पांच सौ रूपये के 140 नोट, कुल 70 हजार रूपये निकाल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस विजय सिंह, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय, जयपुर को पेश किये,उक्त नोटो के नम्बर अंकित किये जाकर स्वतत्र गवाहन से चैक करवाये गये तो नोटो के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। उसके बाद कार्यालय कर्मचारी श्री महेश कानि 193 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त नम्बरी नोटों कुल 70,000/- रूपये को रखकर उक्त नोटों पर श्री महेश कानि 193 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। उसके बाद परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह नाथावत से लिवायी गयी, तो परिवादी के पास मोबाइल फोन के अलावा कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। तत्पश्चात परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह की पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटों को श्री महेश कानि 193 से रखवाया गया तथा श्री महेश कानि 193 से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी। उसके पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें ट्रेप बाक्स से सोडियम कार्बोनेट की शिशि निकलवाकर उसमें से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर साफ पानी से भरे कांच के गिलास में डलवाकर घोल तैयार करवाया, जो रंगहीन रहा, जिसको सभी को दिखाया गया। इसके पश्चात उक्त घोल में श्री महेश कानि 193 की फिनोफ्थलीन पावडर युक्त दाहिने

हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह व स्वतंत्र गवाहान को दिखाकर समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पॉउडर लगे नोटां को छुयेगा तो उसके हाथां में फिनोफ्थलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि संदिग्ध ने रिश्वती राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाइल नं. [redacted] पर अपने मोबाइल से मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करें। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत की गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें तथा परिवादी को हिदायत की गई कि वो संदिग्ध व्यक्ति को रिश्वत राशि देने के पहले व पश्चात ना तो उससे हाथ मिलाये और यदि आवष्यक हो तो हाथ जोडकर नमस्कार करें। परिवादी को को भी हिदायत की गई कि वह यह भी ध्यान रखे कि संदिग्ध कौन से हाथ से पैसे ले रहा है और वह गिनता है या नहीं तथा लेने के बाद रिश्वत राशि कहां पर रखता है। तत्पश्चात श्री महेश कानि 193 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई तथा सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई। श्री महेश कानि 193 को कार्यालय में छोडा गया। कार्यालय की अलमारी से एक दूसरा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय एक नया/खाली मैमोरी कार्ड कम्पनी HIKVISION 32 GB निकाला जाकर खाली होना सुनिश्चित कर श्री रूप किशोर कानि. 74 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह जब संदिग्धो को रिश्वत राशि देने जाये, उससे पूर्व वाईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को देना सुनिश्चित करें। परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करे। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। उक्त फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 06.25 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस विजय सिंह, हमराह श्री महावीर प्रसाद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मय श्री गजानन्द उ.नि., श्री केसर सिंह, सहायक पुलिस निरीक्षक, श्री राजकुमार सहायक पुलिस निरीक्षक, हैड कानि. राजेन्द्र सिंह 130 श्री पिन्टू हैड कानि 34, श्री रूप किशोर कानि. 74, श्री विरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212, श्री भैरूलाल वरिष्ठ सहायक, श्रीमती राजू देवी म.कानि. नं. 42 मय स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेन्द्र सिंह नाथावत व श्री गजेन्द्र गिगना एवं परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह मय ट्रेप बाक्स मय सरकारी लेपटॉप व प्रिन्टर मय दो सरकारी वाहन बोलेरो व मिनी बस चालक क्रमषः श्री इन्द्रपाल नं. व श्री रूपेश कुमार नं. 74 के ट्रेप कार्यवाही हेतु मुनासिब हिदायत दी जाकर ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर बहरोड़ से कुछ दूरी पूर्व रुक गये जहां समय 11.57 एएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी ललित के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कोल कर वार्ता कराई तो आरोपी द्धारा परिवादी को बहरोङ बुलाने पर परिवादी ने उसे कुण्ड रोड़ पर आने के लिए कहा जिस पर आरोपी द्धारा सहमति दी गई । तत्पश्चात हम सभी रवाना होकर कुण्ड रोङ बहरोङ पंहुचे तथा परिवादी की आरोपी से समय 12.28 पीएम पर उसके मोबाईल पर वार्ता करवाई गई जिसमे परिवादी ने आरोपी को गुलाब मैमोरीयल होस्पीटल के पास गन्ने के जूस के ठेले पर आने को कहा । उक्त दोनो परिवादी व आरोपी ललित के मध्य उक्त दोनो मोबाईल वार्ताओ की परिवादी के मोबाईल के स्पीकर को ओन कर वाईस रिकार्डर मे वार्ता रिकार्ड की गई परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई मोबाईल फोन वार्ता के अनुसार मन उप अधीक्षक मय हमराहीयान के डॉ सत्यवीर सिंह यादव के मकान के सामने, कुण्ड रोड, बहरोड पहुंचे। जहां पर मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देषानुसार कानि. रूपकिशोर द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को वाईस रिकॉर्डर चालु करके सुपुर्द कर रवाना किया गया । मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ते के परिवादी के ईशारे के इंतजार हेतु मुकीम हुए। कुछ समय बाद एक व्यकित स्कूटी से जूस के ठेले पर आया एंवम परिवादी से बात करने लगा । समय 12.40 पी.एम. पर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत देने के बारे में इशारा किया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान एवं समस्त ए.सी.बी. जाप्ता के डॉ सत्यवीर यादव के निवास कुण्ड रोड पर स्थित गन्ने की जूस की ठैले पर पहुचे। कानि विरेन्द्र नम्बर 212 के द्वारा कार्यालय कैमरा ऑन कर कार्यवाही की वीडियों रिकॉर्डिंग शुरू की गई। डॉ सत्यवीर यादव के निवास, कुण्ड रोड के सामने स्थित गन्ने की जूस की ठैले पर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह एक व्यक्ति के पास बैठ कर बातचीत करता हुआ मिला। जहां परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसको बंद कर अपने कब्जे में लिया। परिवादी ने मन पुलिस अधीक्षक को स्वयं के सामने बैठे व्यक्ति की ओर ईषारा कर बताया कि यही ललित यादव रीडर है जिसने मेरे से अभी अभी मेरे काम करवाने की ऐवज में 70 हजार रूपये प्राप्त कर अपने दोनो हाथो से लेकर अपने पहने हुये जींस पेंट की बांयी ओर की सामने की जेब में रखे है। इस पर उक्त व्यक्ति का दांया हाथ उपस्थित जाप्ते में से श्री गजानन्द उप निरीक्षक पुलिस एवं बांया हाथ श्री भैरूलाल वरिष्ठ सहायक से कलाई से पकडवाया जाकर सरकारी वाहन मिनी बस में आरोपी को बैठाया गया। इसके बाद

उक्त व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने मय टीम व गवाहान का परिचय देकर आने के मन्तव्य से अवगत कराया जाकर उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री ललित कुमार यादव पुत्र श्री हरपाल सिंह, उम्र 29 साल, जाति यादव, निवासी- गादोज, तहसील बहरोड जिला कोटपुतली बहरोड हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला कोटपुतली बहरोड होना बताया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से अभी अभी प्राप्त की गई 70 हजार रूपये रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी श्री ललित कुमार यादव ने बताया कि मैने यह राशि श्री सुरेन्द्र सिंह से उधार के लिये है तथा मेरी पेंट की जेब में रखे है। चुकि उक्त स्थान सडक आम व भीड भाड होने एवं आस पास अग्रिम कार्यवाही हेतु उचित स्थान दिखाई नहीं पड रहा अतः हाथ धुलाई व अन्य कार्यवाही हेतु किसी सरकारी कार्यालय पर जाना आवष्यक है। अतः श्री गजानन्द व श्री भैरूलाल को आरोपी श्री ललित के दोनों हाथ जिस स्थिति में पकडे है यथा स्थिति में बनाये रखते हुये आवष्यक हिदायत की गई एवं कानि श्री विरेन्द्र नम्बर 212 के द्वारा कैमरा विडियों रिकॉर्डिंग को बंद किया गया। तत्पष्चात मौके से रवाना होकर मय शेष जाप्ते, दोनों गवाहान एवं आरोपी श्री ललित कुमार यादव के अधीषाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बहरोड के कार्यालय में पहुचे। जहां पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने अधीषाषी अभियंता श्री होतीलाल यादव को अपना परिचय देकर उक्त कार्यवाही हेतु एक कक्ष उपलब्ध कराने हेतु अनुमति प्राप्त की गई। पुनः उक्त कार्यवाही की विडियां रिकॉर्डिंग कानि श्री विरेन्द्र से शुरू करवाई गई। श्री महावीर प्रसाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री केषर सिंह स उ नि, श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि मय सरकारी वाहन चालक इन्द्रपाल के बाद आवष्यक कार्यवाही कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड से वापस आये। इसके पश्चात कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग के कक्ष में बैठकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेप बाक्स से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगविहीन था। उसके पश्चात एक ग्लास के धोल में आरोपी श्री ललित यादव के बांये हाथ की अगुलियों एवं अगुंठे को ग्लास के घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो मिश्रण का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर मार्क क्रमषः LH-1 व LH-2 से चिन्हित किया गया। उक्त दोनो शीशीयों को सीलचीट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसी प्रकार आरोपी ललित कुमार यादव के दांहिने हाथ की अगुलियों एवं अगुठे को दूसरे ग्लास के घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो मिश्रण का रंग हल्का गुलाबी परिवर्तित हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर मार्क क्रमषः RH-1 व RH-2 से चिन्हित किया गया। उक्त दोनो शीशीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह नाथावत से आरोपी श्री ललित कुमार यादव की तलाशी लिवाई गई तो उसकी पहनी हुई जींस की पेन्ट की बांई तरफ की सामने की जेब में 500-500 के नोट की एक गड्डी मिली। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहान से फर्द पेशकषी रिश्वत राशि से करवाया गया तो गवाहान ने 500-500 के 140 नोटों के नम्बर पेशकषी रिश्वत राशि में अंकित हुबहू होना बताया। उपरोक्तानुसार बरामदषुदा रिष्वती राशि 70 हजार रूपये को एक सफेद कागज की चिट लगाकर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके अलावा आरोपी की जामा तलाषी में एक मोबाईल फोन कम्पनी रियलमी का मॉडल नारजो 50 प्रो जिसमें एयरटेल कम्पनी की सीम नम्बर [redacted] होना पाया गया। उक्त फोन के सम्बंध में पृथक से अनुसंधान कर जरिये फर्द जप्त किया जावेगा। इसके पश्चात् आरोपी श्री ललित कुमार यादव को बाजार से एक पायजामा हैड कानि पिन्टु कुमार से मंगवाकर पहने के लिए दिया तथा उसकी पहनी हुई पेन्ट को उतरवाकर ट्रेप बाक्स से एक कांच का साफ गिलास निकलवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाये जाने पर मिश्रण रंगहीन होना स्वीकार किया । उसके पश्चात उक्त ग्लास के धोल में आरोपी श्री ललित कुमार यादव की जींस की पेन्ट की बांई ओर की सामने की जेब को उलट कर उसको ग्लास के घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो मिश्रण का रंग हल्का नीला हो गया, जो पेंट का रंग नीला होने के कारण आना प्रतित होता है। जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर मार्क क्रमषः PW-1 व PW-2 से चिन्हित किया गया। उक्त दोनों शीशीयों को सीलचीट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात् आरोपी श्री ललित कुमार यादव की जींस पेन्ट की जेब को सुखा कर जेब पर सम्बन्धितों हस्ताक्षर करवाये जाकर जींस पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रख कर थैली पर मार्का-P अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील मोहर कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान के समक्ष आरोपी श्री ललित कुमार यादव से परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे मे पूछा गया तो आरोपी कुछ समय के लिये चुप हो गया। इसके बाद मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पुनः आरोपी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बंध मे पूछा गया तो आरोपी श्री ललित कुमार यादव ने बताया कि मै पिछले 1 वर्ष 6 माह से कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बहरोड में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूॅं तथा रीडर सहायक कलेक्टर, बहरोड के रूप में कार्य कर रहा हूॅं। श्री सुरेन्द्र सिंह यादव निवासी गण्डाला मेरे से कई बार अपनी जमीन में स्थित ईट भट्टा के एन बी के संपरिवर्तन आदेश को निरस्त कराने हेतु मिला था। श्री सुरेन्द्र सिंह ने मुझे उक्त कार्य कराने हेतु कहा था। सहायक कलेक्टर, बहरोड का पद पिछले करीब 4 साल से रिक्त चल रहा है। जिस का चार्ज श्री रामकिशोर मीणा उपखण्ड अधिकारी बहरोड के पास है। श्री सुरेन्द्र सिंह यादव का प्रार्थना

पत्र संपरिवर्तन आदेश निरस्त कराने के सम्बंध में उपखण्ड अधिकारी बहरोड के यहां पेन्डिग चल रहा है। पहले श्री सुरेन्द्र सिंह ने उपखण्ड अधिकारी बहरोड श्री रामकिशोर मीणा के पास कुछ लोगो के फोन कार्य करवाने हेतु कराये थे। लेकिन इनके द्वारा उसका काम नहीं किया गया। तब मेरे से करीब 7-8 दिन पूर्व श्री रामकिशोर मीणा उपखण्ड अधिकारी बहरोड ने कहा था कि सुरेन्द्र जी का काम कर देगे परन्तु एक लाख रूपये लगेगे। इसके बाद मैने श्री सुरेन्द्र सिंह यादव को करीब 4-5 दिन पूर्व कहा था कि आप का काम हो जायेगा मेरी साहब से बात हो गई है। एसडीएम साहब ने एक लाख रूपये रिश्वत देने के लिये कहा है। दिनांक 20.05.2025 शाम के समय श्री रामकिशोर मीणा एसडीएम साहब ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया और कहा कि श्री सुरेन्द्र सिंह का भट्टे वाला काम कर दिया है। वो पैसे दे दे तब उसका आदेश ले जाना। इस पर मैने श्री सुरेन्द्र सिंह को वाट्सअप कॉल कर ये बात बता दी थी। कल दिनांक 21.05.2025 को श्री सुरेन्द्र सिंह मेरे कार्यालय कक्ष में आया था तब मैने इनको कहा था कि आप का काम हो गया है। श्री सुरेन्द्र सिंह के कहने पर मैने उसे 70 हजार रूपये बतौर रिश्वत देने के लिये कहा था। आज मैने यह राशि एसडीएम साहब बहरोड के कहने से श्री सुरेन्द्र सिंह से ली थी, तभी आप की टीम द्वारा मुझे पकड लिया गया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री ललित कुमार यादव पुत्र श्री हरपाल सिंह, उम्र 29 साल, जाति यादव, निवासी-गादोज, तहसील बहरोड जिला कोटपुतली बहरोड हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला कोटपुतली बहरोड एवं श्री रामकिशोर मीणा, उपखण्ड अधिकारी बहरोड के द्वारा आपस में आपराधिक षडयंत्र कर, मिलिभगत कर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह यादव से भूमि में स्थित ईट के भट्टे का संपरिवर्तन आदेश निरस्त करने की ऐवज में दिनांक 21.05.2025 को 1 लाख रूपये की रिश्वत की मांग कर 70 हजार रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करने पर सहमत होना, उक्त मांग के क्रम में आरोपी द्वारा आज दिनांक 22.05.2025 को परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से आरोपी श्री ललित कुमार यादव के द्वारा 70,000 रूपये की रिश्वत राशि दोनां हाथो से प्राप्त कर, अपनी पहनी हुई जींस पेंट की सामने की बांई जेब में रखना, दांहिने एवं बांये हाथ की अगुलियों एवं पहनी हुई जींस पेंट की जेब के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया है। आरोपीगण का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता की तारीफ में आता है। पूर्व में परिवादी से प्राप्त किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सरसरी तौर पर सुना गया, जिसमें रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्डर होना पाई गई, जिन्हे बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा गया। रिश्वत लेन देन वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं मीडी तैयार की जावेगी। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई, बरामदगी रिश्वत राशि पृथक मे तैयार कर मम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 04.30 पी.एम पर आरोपी श्री ललित कुमार यादव के पास से प्राप्त मोबाईल फोन Realme NARJO 50 pro 5G COLOUR- DARK BLUE जिसमें एयरटेल कम्पनी की सिम नम्बर [redacted] लगी हुई है। उक्त मोबाईल फोन को खोला जाकर अन्य आरोपी श्री रामकिशोर मीणा उपखण्ड अधिकारी बहरोड से उसके द्वारा वाट्सअप पर की गई चैटिग, कॉल, हिस्ट्री के स्क्रीनशॉट के 29 पेज का प्रिन्ट लिया जाकर सम्बंधितो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मोबाईल फोन को वास्ते परीक्षण हेतु एक सफेद कपडे की थैली में रखकर षिल्डमोहर कर मार्का LM अंकित कर पृथक से जरिये फर्द जप्त किया गया। समय 04.35 पी.एम. पर प्रकरण अनुसंधान के दौरान विष्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली है कि परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह यादव के लम्बित कार्य से सम्बन्धित पत्रावली में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड के सम्बन्धित संदिग्ध अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड में कांटछांट, रिकॉर्ड परिवर्तन, बेकडेट में दस्तावेजों को डिस्पेच करने का कार्य किया जा रहा है, सूचना महत्वपूर्ण है तथा साक्ष्य को खुर्दबुर्द किये जाने की आंषका के मध्यनजर मन उप अधीक्षक पुलिस आरोपी श्री ललित कुमार यादव से सम्बन्धित कार्यवाही में व्यस्त होने के कारण हमराही जाप्ता से श्री गजानन्द उपनिरीक्षक को पत्र जारी कर मय श्री राजकुमार सउनि तथा श्री भैंरू सिंह वरिष्ठ सहायक के साथ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड पहुंचकर तत्काल परिवादी से सम्बन्धित रिकॉर्ड संरक्षित कर मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देष प्रदान किये गये, साथ ही सम्बन्धित आरोपी लोकसेवक का सेवा विवरण भी लाने हेतु मय हमराहीयान के रवाना किया गया। समय 04.40 पी.एम. पर गिरफ्तारषुदा आरोपी श्री ललित कुमार यादव पुत्र श्री हरपाल सिंह, उम्र 29 साल, जाति यादव, निवासी-गादोज, तहसील बहरोड जिला कोटपुतली बहरोड हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला कोटपुतली बहरोड से विस्तृत पूछताछ कर पुछताछ नोट पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 05.05 पी.एम. पर आरोपी श्री ललित कुमार यादव पुत्र श्री हरपाल सिंह, उम्र 29 साल, जाति यादव, निवासी-गादोज, तहसील बहरोड जिला कोटपुतली बहरोड हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला कोटपुतली बहरोड को जरिये फर्द पृथक से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। समय 06.10 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की निषादेही से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात की फर्द पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। समय 08.20 पी.एम. पर श्री महावीर प्रसाद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री गजानन्द उनि, श्री केषर सिंह सउनि, श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि, श्री राजकुमार सउनि, पिन्टु हैड कानि, कानि. विरेन्द्र, श्री भैरूलाल मय गिरफ्तारषुदा आरोपी श्री ललित कुमार यादव मय सरकारी वाहनो चालक इन्द्रपाल व रूपेश वापस आये। श्री गजानन्द उ नि पुलिस द्वारा जरिये फर्द जप्त किया गया रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया जिसमें परिवादी के लम्बित कार्य की पत्रावली, जावक पत्र पंजिका, उपस्थिति पंजिका, संपरिवर्तन आदेश तथा पूर्व दिनांक में

डिस्पेच दिखाया जाकर संपरिवर्तन निरस्त करने का आदेश है। उक्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री ललित कुमार यादव के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही की सूचना कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड के संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारियों को होने पर उनके द्वारा परिवादी के लम्बित कार्य मे सम्बंधित पत्रावली, रिकॉर्ड को कांटछांट कर, आनन फानन में साक्ष्य मिटाने की दृष्टि से संपरिवर्तन निरस्त आदेश पारित किया गया है। जिसमें कांट छांट पूर्व दिनांक में डिस्पेच कर आज दिनांक में प्राप्ति रसीद प्राप्त करना तथा इसके पश्चात आने वाले डिस्पेच क्रमांक आज से पूर्व की तिथियों में प्राप्ति रसीद प्राप्त होना, उपस्थिति पंजिका में संपरिवर्तन आदेश निरस्त करने की दिनांक 20.05.2025 को सम्बधित उपखण्ड अधिकारी की उपस्थिति कार्यालय में नहीं होना इत्यादि प्रकट हुआ है। प्राप्त रिकॉर्ड/दस्तावेजो को शामिल कार्यवाही पत्रावली किया गया। श्री पिन्टु कुमार हैड कानि ने बताया कि आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया उसके बाद श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषानुसार मय आरोपी के उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में पहुंच कर आरोपी के सहयोग से उक्त रिकॉर्ड जप्त किया गया तथा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया, जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 23.05.2025 समय 09.35 आरोपी श्री ललित कुमार यादव वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला कोटपुतली बहरोड की रिकॉर्ड वार्ताओ का एफएसएल जयपुर से मिलान करवाने के लिये गवाहन के समक्ष अपनी आवाज का नमूना देने हेतु कहा तो उन्होंने अपनी आवाज का नमूना देने से इन्कार किया। जिसकी फर्द नमूना आवाज पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.20 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक 21.05.2025 रिश्वत मांग सत्यापन के समय रिकार्ड वार्ता को दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से अपनी एवं आरोपी श्री ललित कुमार यादव की आवाज की पहचान करवाई गई तो परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने अपनी एवं ललित कुमार यादव की आवाज की पहचान की। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्ता की वार्ता रूपान्तरण तैयार किया गया। उक्त रिकार्ड वार्ता की वाईस क्लिप को बारी-बारी तीन अलग-अलग डीवीडी मे राईट/बर्न किया गया। वॉईस क्लिप डीवीडी में रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर तीनो डीवीडी पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात तीनों डीवीडी पर क्रमषः मार्का A.1,A.2 व A.3 अंकित कर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। मार्का A.1 व मार्का A.2 डीवीडी को दो पृथक पृथक डीवीडी कवर मे रखकर, दो पृथक-पृथक सफेद कपडे की थैलीयों में रख कर थैलीयों पर क्रमषः मार्का A1ए A.2 अंकित किये जाकर थैलियों पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया। मार्का A.3 डीवीडी. को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मेमोरी कार्ड HIKVISION 32 GB जिनमें उक्त वार्तायें रिकार्ड है को एक प्लास्टीक छोटी पारदर्षी की खाली डिब्बी में रखकर, प्लास्टीक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रख कर मार्का A.4 अंकित किया जाकर थैली पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द ट्रांसक्रिप्ट/वार्ता रूपान्तरण एवं तैयार डीवीडी एवं जप्ती डीवीडी पृथक मे तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.45 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक 22.05.2025 रिश्वत लेन देन के समय रिकार्ड वार्ताओं को दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से अपनी एवं आरोपी श्री ललित कुमार यादव की आवाज की पहचान करवाई गई तो परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने अपनी एवं ललित कुमार यादव की आवाज की पहचान की। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्ता का वार्ता रूपान्तरण तैयार किया गया। उक्त रिकार्ड वार्ता की वाईस क्लिप को बारी-बारी तीन अलग-अलग डीवीडी मे राईट/बर्न किया गया। वॉईस क्लिप डीवीडी में रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर तीनो डीवीडी पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात तीनों डीवीडी पर क्रमषः मार्का B.1, B.2 व B.3 अंकित कर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। मार्का B.1 व मार्का B.2 डीवीडी को दो पृथक पृथक डीवीडी कवर मे रखकर, दो पृथक-पृथक सफेद कपडे की थैलीयों में रख कर थैलीयों पर क्रमषः मार्का B.1, B.2 अंकित किये जाकर थैलियों पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया। मार्का B.3 डीवीडी. को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मेमोरी कार्ड HIKVISION 32 GB जिनमें उक्त वार्तायें रिकार्ड है, को एक प्लास्टीक छोटी पारदर्षी की खाली डिब्बी में रखकर, प्लास्टीक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रख कर मार्का B.4 अंकित किया जाकर थैली पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द ट्रांसक्रिप्ट/वार्ता रूपान्तरण एवं तैयार डीवीडी एवं जप्ती डीवीडी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।ट्रेप कार्यवाही के समय करवाई गई विडियो रिकार्डिंग के मैमोरी कार्ड को स्वतन्त्र गवाहन के सामने सील किया गया एंवम फर्द शामिल पत्रावली की गई । कार्यवाही मे प्रयुक्त ब्रास सील की नमूना फर्द तैयार की गई । अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री ललित कुमार यादव पुत्र श्री हरपाल सिंह, उम्र 29 साल, जाति यादव, निवासी-गादोज, तहसील बहरोड जिला कोटपुतली बहरोड हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला कोटपुतली बहरोड एवं श्री रामकिशोर मीणा, उपखण्ड अधिकारी बहरोड के द्वारा आपस में आपराधिक षडयंत्र कर, मिलिभगत कर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह यादव से भूमि में स्थित ईट के भट्टे का संपरिवर्तन आदेश निरस्त करने की ऐवज में दिनांक 21.05.2025 को 1 लाख रूपये की रिश्वत की मांग कर 70 हजार रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करने पर सहमत होना, उक्त मांग के क्रम में आरोपी द्वारा आज दिनांक 22.05.2025 को परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से आरोपी श्री ललित कुमार यादव के द्वारा 70,000 रूपये की रिश्वत

राशि दोनां हाथो से प्राप्त कर, अपनी पहनी हुई जींस पेंट की सामने की बांई जेब में रखना, दांहिने एवं बांये हाथ की अगुलियों एवं पहनी हुई जींस पेंट की जेब के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया है। श्री रामकिशोर मीना उपखण्ड अधिकारी बहरोड की तलाष जामा से उनके कार्यालय व आस-पास करवाई गई तो नही मिला और ना ही सम्पर्क हो सका। आरोपीगण का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता में प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री ललित कुमार यादव पुत्र श्री हरपाल सिंह, उम्र 29 साल, जाति यादव, निवासी-गादोज, तहसील बहरोड जिला कोटपुतली बहरोड हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला कोटपुतली बहरोड एवं श्री रामकिशोर मीना, उपखण्ड अधिकारी बहरोड के विरूद्ध धारा अपराध 7,12 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। (विजय सिंह) उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू. द्वितीय, जयपुर...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजय सिंह,उप पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू. द्वितीय, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता में आरोपीगण 1-श्री ललित कुमार यादव पुत्र श्री हरपाल सिंह यादव उम्र 25 साल निवासी गादोज तहसील बहरोड जिला कोटपूतली बहरोड हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड जिला कोटपूतली बहरोड एवं 2- श्री रामकिशोर मीना पुत्र श्री भगवान सहाय मीना उम्र 57 साल निवासी मीणा मोहल्ला चितानुकला चन्दवाजी तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल उपखण्ड अधिकारी बहरोड के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस. यू.-प्रथम, जयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 448 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 744-48 दिनांक 24-05-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-शासन उप सचिव कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान जयपुर। 4- जिला कलक्टर, कोटपूतली-बहरोड 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय, जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the Investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Pushpendra Singh Rathore **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/05/2025 22:

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	30/12/1995				
2	Male	25/12/1978				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)